न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (**R.A.S.**)

प्रकरण संख्या –69/2014 वाद
GCMS No.–2016/00498

श्री भैरूलाल पिता मांगू उर्फ मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र 50 वर्ष निवासी मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।

–वादी

//बनाम//

1. शांताबाई के बजाय:–
   1/1 निर्मला पुत्री कनीराम जाति मेघवाल आयु 40 वर्ष निवासी ढोरिया हा0मु0 भट्टकोटड़ी तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
   1/2 सुरेश पिता कनीराम मेघवाल आयु 25 वर्ष निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा।
   1/3 प्रेम पुत्री कनीराम जाति मेघवाल आयु 20 वर्ष निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा
2. कमला बाई पुत्री उदा जी पत्नी बगदीराम जाति मेघवाल निवासी मकनपुरा हाल आजाद चौक मेघवालों के मंदिर के सामने निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. पृथ्वीराज पिता उदा जाति मेघवाल आयु 48 साल निवासी मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
4. तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा राज0

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :–1–श्री राधेश्याम धाकड़– अधिवक्ता वादी
2–श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया– अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1 से 2

::निर्णय:: दिनांक :–29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादगण नं0 1 से 3 के संयुक्त ख[illegible]व मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा में निम्न आराजियात दर्ज चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नं0	रकबा एकड़– आरी	लगानी रु0 – पैसे
117 (पुराना नम्बर 525/27)	1 –27 (पुराना रकबा 5 बीघा)	06.35
1	1–27	06.35

2. यह कि आराजी नं0 117 (पुराना नं0 525/27) रकबा 1.27 हैक्टेयर (पुराना रकबा 5 बीघा) वर्णित कलम नं0 1 स्व0 उदा पिता दौला जी चमार (मेघवाल) निवासी मकनपुरा को जरिये मिसल नं0 510/77 के तारीख 29.12.1977 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अलॉट की गई थी तथा यह आराजी स्व0 उदा जी चमार की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर उन्हें इस सम्पत्ति हो हर तरह से रहन, बय, हीबा या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का पूरा हक अधिकार था। इसके अलावा आराजी नं0 235 (पुराना नम्बर 111), रकबा 0.30 हैक्टेयर (पुराना रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा), आराजी नं0 238 (पुराना नम्बर 113) रकबा 0.46 हैक्टेयर (पुराना रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा), आराजी नं0 248 (पुराना नम्बर 123) रकबा 0.21 हैक्टेयर (पुराना रकबा 17 बिस्वा), आराजी नं0 258 (पुराना नम्बर 131) रकबा 0.06 हैक्टेयर (पुराना रकबा 5 बिस्वा) में स्व0 उदा जी का 1/2 हक हिस्सा था साक्ष्य में नकल जमाबन्दी व नकल नामान्तरकरण नं0 111 गांव मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा साक्ष्य में पेश है।

3. यह कि मूल खातेदार स्व0 उदा पिता दौला जी चमार (मेघवाल) निवासी मकनपुरा जो कि वादी के सगे ताऊ थे, ने तारीख 31/3/1995 को गवाहान 1. श्री कनीराम निवासी ढोरिया 2. नन्दलाल रावत निवासी मकनपुरा व 3. श्री अम्बालाल गुजर निवासी मकनपुरा की मौजूदगी में आराजियात वर्णित कलम नं0 1 व 2 को वादी के हक में वसीयत कर दी। क्योंकि स्व0 उदा जी का पुत्र पृथ्वीराज जन्म से मानसिक रुप से कमजोर है तथा स्व0 उदा जी व उनके पुत्र पृथ्वीराज की देख रेख वादी ही करता चला आ रहा था। श्री उदा जी चमार (मेघवाल) का देहान्त तारीख 20.2.1996 को हो चुका है। साक्ष्य में वसीयतनाम तारीख 31.03.1995 व मृत्यु प्रमाण पत्र स्व0 उदा जी मेघवाल पेश किया है।

4. यह कि चूंकि वादी स्व0 उदाजी की देख रेख उनके जीवन काल से करता चला आ रहा था। इसलिए आराजी वर्णित कलम नं0 1 पर वादी का कब्जा भी स्व0 उदा जी के जीवन काल से ही करीब 30 सालों से अधिक समय से चला आ रहा है तथा वादी ही उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग व काश्त करता चला आ रहा है। मूल खातेदार श्री उदा जी की मृत्यु हो जाने के बाद पटवारी हल्का ने बिना जांच पडताल किये स्व0 उदा जी के पुत्र व पुत्रीयां प्रतिवादी नम्बर 1 [illegible] के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिये तथा वादी जो की अनपढ़ व्यक्ति है इस [illegible] तथ्य से अनजान ही रहा। अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण खाते में अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठा कर वादी को आराजियात वर्णित कलम नं0 1 से जबरन बेदखल कर उक्त आराजियात वर्णित कलम नं0 1 को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर देना चाहते है। जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। जबकि वादी ने अपनी बहनों प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की इच्छा का सम्मान करते हुये स्वेच्छा से आराजी नम्बर 235 (पुराना नम्बर 111), रकबा 0.30 हैक्टेयर (पुराना रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा), आराजी नम्बर 238 (पुराना नम्बर 113) रकबा 0.46 हैक्टेयर (पुराना रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा) आराजी नम्बर 248 (पुराना नम्बर 123) रकबा 0.21 हैक्टेयर (पुराना रकबा 17 बिस्वा), आराजी नम्बर 258 (पुराना नम्बर 131) रकबा 0.06 हैक्टेयर (पुराना रकबा 5 बिस्वा) जिममें स्व0 उदा जी का 1/2 हक हिस्सा था को प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के हक छोड़ दिया था। जिस पर वादी आज भी कायम है। यह कि तारीख दिनांक 03.04.2014 को प्रतिवादीगण नं0 1 से 3 ने वादी को आराजियात वर्णित कलम नं0 1 पर से वादी का कब्जा हटाने के लिये झगड़ा किया तथा वादी को धमकी दी की वे इन आराजियात को किसी अन्य को विक्रय कर देगें। यदी प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 ने अपनी धमकी पर अमल कर दिया तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद से नहीं हो सकेगी।

5. वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह घोषित किया जावे कि वसियत दिनांक 31.03.1995 के आधार पर वादी आराजियात वर्णित कलम नम्बर 1 का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजियात वर्णित कलम नं0 1 को वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादग्रस्त आराजियात वर्णित कलम नं0 1 से या उसके किसी भाग से वादी को जबरन बेदखल न करें न करावें तथा आराजियात वार्णित कलम नं0 1 को उसके किसी भाग को अन्य किसी को रहन, बय, हीबा या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित न करें न करावें व राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न करे न करावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गयां। प्रतिवादी नम्बर 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया ने जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा अपने जवाबदावा में अंकित किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात मौजा मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा की होना स्वीकार है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

पुराने आ0नं0	रकबा बीघा–बिस्वा	नये आ0नं0	रकबा है0।
111	1–04	235	0.30
113	1–16	238	0.46
123	0–17	248	0.21
131	0–05	258	0.06

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

व इसके अलावा एक बाड़ा है जो 0.0400 हैक्टेयर हैं।
वाद पत्र की चरण संख्या 2 में आराजी नम्बर 525/27 रकबा 5 बीघा जिसके नये आाजी नम्बर 117 रकबा 1.27 हैक्टेयर लगानी 6 रूपये 35 पैसे उक्त आराजियात उदा जी को अलोट होना स्वीकार है। बाकी तथ्य अस्वीकार है। सही तो यह कि उदा जी की पुश्तैनी व स्वअर्जित आराजियात में हम प्रतिवादीगण 1 से 3 का हक हिस्सा निहित है व संयुक्त रूप से उदा जी की आराजियात में हम प्रतिवादीगण 1 से 3 ही मौके पर काबिज होकर उदा जी की आराजियात, बाड़ा व मकानियत का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है व मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य वादी ने गलत अंकित किये है। उदा जी द्वारा उनके जीते जी उनके जीवनकाल में कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया है बल्कि वादी ने एक झूठा व फर्जी व बनावटी वसीयातनामा बनाकर प्रस्तुत किया है। जिसका वादी दुरूपयोग कर आराजियात प्रतिवादीगण 1 से 3 के हक हिस्से की है को हड़पना चाहता है। सही तो यह कि सेवा चाकरी व देखरेख भी वादी ने नहीं की है बल्कि हमने अर्थात पुत्रीयों ने की है व उदा जी की आराजियात में वादी का कोई हिस्सा नहीं है ना ही कानूनन कोई हक हिस्सा उदा जी की आराजियात में निहित होता है। उदा जी की आराजियात में प्रतिवादी नम्बर 1 शान्ताबाई, प्रतिवादी नम्बर 2 कमलाबाई व प्रतिवादी नम्बर 3 पृथ्वीराज ही हकदार होकर उदा जी की आराजियात व मकानियत पर काबिज है। प्रतिवादी नम्बर 3 पृथ्वीराज भी मन्दबुद्धी का है जिसकी देखरेख व जीवन निर्वाह की सारी व्यवस्था प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा की जाती है प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के संरक्षक में रहकर ही जीवन निर्वाह किया जा रहा है व उसका उपयोग करते चले आ रहे है तथा स्वर्गीय उदा जी के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 है जिससे कानूनन वादी प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 के विरूद्ध किसी भी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है तथा जवाबदावे के विशेष कथन में अंकित किया कि उदा जी खातेदारी की आराजियात जिसमें हम प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 व 3 का हक हिस्सा निहित है उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर राजस्व रेकार्ड में बटवारा कराया जावें व मौके पर कब्जे अनुसार खातेदारी घोषित फरमाई जावें। प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 3 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नम्बर 4 तहसीलदार निमबाहेड़ा प्रकरण में अपना जवाब नहीं देना चाहते है। अतः प्रतिवादी नम्बर 4 का जवाब बन्द किया गया।

7. वाद पत्र एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखत तनकीयात कायम की गईः–

1– आया मौजा मकनपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल आराजी नं0 117 रकबा 1.2700 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नम्बर 525/27 रकबा 5 बीघा स्व. उदा पिता दोला जी चमार मेघावाल स्व अधिकार आराजी होकर उनको हर तरह से हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार था। ..... जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

2–आया विवादग्रस्त आराजी स्व0 उदा पिता दोला जी चमार मेघवाल ने अपने जीवन काल में दिनांक 31.03.1995 को को वादी को वसीयत कर दी तब से वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

.... जिम्मे वादी

3–आया वादी वसीयत के आधार पर विवादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी की घोषित कराकर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकन कराने का अधिकारी है।

.... जिम्मे वादी

4– आया उदा जी द्वारा उनके जीते जी जीवन काल में कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया वादी ने झूठा व फर्जी वसीयतनामा बनाकर विवादग्रस्त आराजी हड़पना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है।

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

5– दादरसी क्या होगी।

8. वादी ने साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1 स्वयं का शपथ पत्र, पीडब्ल्यू–2 अम्बालाल पिता नन्दा गुर्जर का शपथ पत्र, पीडब्ल्यू–3 कनीराम पिता गुलाबचन्द मेघवाल का शपथ पत्र, पीडब्ल्यू–4 नन्दलाल पिता चौका रावत मीणा के शपथ पत्र पेश किये एवं इनके बयान लेख बद्ध किये गये एवं शंकरलाल पिता दुदा मीणा का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने ग्राम मकनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2069–2072 की खाता संख्या 25 की आराजी नम्बर 117 रकबा 1.27 हैक्टेयर की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–1 है। ग्राम मकनपुरा का नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श–2 है। ग्राम मकनपुरा का मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श–3 है। असल वसियतनामा दिनांक 31.03.1995 पेश किया जो प्रदर्श–4 है एवं असल वसियतनामा की फोटोप्रति प्रदर्श–4A है। ग्राम मकनपुरा की नकल जमाबन्दी संवत् 2052–2055 पेश की जो प्रदर्श–5 है। ग्राम मकनपुरा का नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–6 है। ग्राम मकनपुरा की जमाबन्दी संवत् 2031–2034 पेश प्रमाणित प्रति पेश की है। उदा पिता दोला मेघवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की है।

9. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त सार यह कि ग्राम मकनपुरा का नामान्तरकरण संख्या 111 अनुसार श्री उदा पिता दोला चमार सा. मकनपुरा को ग्राम मकनपुरा की आराजी नम्बर 525 / 27 रकबा 5 बिस्वा जरिये मि0नं0 510 / 77 दिनांक 29.12.77 को अलोट हुई थी। जिसका अमल दरामद जमाबन्दी संवत् 2031–2034 में हुआ। मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार उदा पिता दोला की मृत्यु 20.02.1996 हो गई थी। ग्राम मकनपुरा की जमाबन्दी संवत् 2052–2055 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 264 दिनांक 23.11.1996 को उदा पिता दोला की विरासत से उक्त आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के नाम दर्ज हुई। जिसका अमल ग्राम मकनपुरा की जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

संवत् 2052–2055 में हुआ। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजी नम्बर 527/27 रकबा 5 बीघा के नये आराजी नम्बर 117 रकबा 1.27 हैक्टेयर हुये। ग्राम मकनपुरा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 की खाता संख्या 25 अनुसार आराजी नम्बर 117 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 शांताबाई, प्रतिवादी नम्बर 2 कमलाबाई, प्रतिवादी नम्बर 3 पृथ्वीराज के नाम दर्ज रेकार्ड है जो उदा की पुत्रियां एवं पुत्र है। प्रदर्श–4 वसीयातनमा अनुसार आराजी नम्बर 525/27 रकबा 5 बीघा भूमि जो उदा को अलोट हुई जिसे उदा जी वादी भैरूलाल के पक्ष में वसीयत की है। उक्त आराजी के नवीन अराजी नम्बर 117 रकबा 1.27 हैक्टैयर है। जिसे वादी वसीयातनामा के आधार पर अपने नाम घोषित कराना चाहता है।

10. तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः–

<u>तनकी नम्बर–1</u> :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। इस तनकी को साबित करने के लिए वादी ने प्रदर्श–2 एवं प्रदर्श–6 ग्राम मकनपुरा की नामान्तरकरण संख्या 111 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार जरिये मि0नं0 510/77 दिनांक 29.12.77 को उदा पिता दोला चमार को आराजी नम्बर 525/27 रकबा 5 बीघा भूमि अलोट हुई। जिसका अमल दरामद जमाबन्दी संवत् 2031–2034 में हुआ। उदा को अलोट हुई भूमि अपनी स्वअर्जित भूमि मानी जाती है जिसको अपने जीवनकाल में वसीयत/दान एवं हर तरह से हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार है। वादी ने उदा का मृत्यु प्रमाणपत्र भी पेश किया जिसके अनुसार उदा की मृत्यु 20.02.1996 को हो गयी थी। वादी उक्त तनकी को साबित करने में सफल रहा है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी नम्बर–2</u> :–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। इस तनकी को साबित करने के लिए वादी ने प्रदर्श–4 असल वसियत नामा पेश किया है। वसीयतनामा दिनांक 31.03.195 अनुसार उदा ने आराजी नम्बर 525/27 रकबा 5 बीघा भूमि वादी भैरूलाल के पक्ष में वसीयत की है। उक्त वसीयतनामा 5 रूपये के स्टाम्प होकर अनरिजस्टर्ड है। वसीयतनाम पर कनीराम पिता गुलाबजी सा. ढोरिया, नन्दलाल पिता चोका रावत मीणा निवासी मकनपुरा, अम्बालाल पिता नन्दाजी गुजर सा0 मकनपुरा के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी है। वादी ने वसीयतनामा के तीनों गवाहो के शपथ पेश किये एवं बयान भी लेख बद्ध कराये। वसीयतनामा के तीनों स्वतंत्र गवाहों ने अपने शपथ पत्र एवं बयानों में उदा के समक्ष वसीयतनामें पर किये अपने हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी करना स्वीकार किया है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत सभी गवाहो ने वादग्रस्त भूमि पर वादी कब्जा होकर काश्त करना बताया है। इस तनकी को साबित करने में वादी सफल रहा। अतः इस तनकी को वादी के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी नम्बर–3</u> :–इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए प्रदर्श–4 असल वसीयतनामा पेश किया है। वसीयतनामा अनुसार उदा पिता दोला चमार निवासी मकनपुरा ने वादी भैरूलाल

पिता मांगीलाल चमार के नाम दिनांक 31.03.1995 को वसीयत की गई। प्रथम दृष्टया न्यायालय को यहाँ इस महत्वपूर्ण बिन्दु का विश्लेषण करना है जिसमें वादी को की गई वसीयत कानूनन दृष्टिकोण से सही है या नहीं अर्थात वसीयत कर्ता वसीयत करने का अधिकारी है या नहीं। हमने उदा पिता दोला चमार द्वारा वादी भैरूलाल के पक्ष में की गई वसीयत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उदा पिता दोला चमार ने अपने जीवन काल में अपने नाम अभिलिखित भूमि का वादी भैरूलाल के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत की है। उदा पिता दोला चमार द्वारा वसीयत की भूमि ग्राम मकनपुरा की आराजी नम्बर 525/27 रकबा 5 बीघा भूमि प्रदर्श–2 व 6 ग्राम मकनपुरा नामान्तरकरण संख्या 111 अनुसार जरिये मि0नं0 510/77 दिनांक 29.12.77 को उदा पिता दोला चमार निवासी मकनपुरा को अलोट हुई। जिसका अमल दरामद जमाबन्दी संवत् 2031–2034 में हुआ। अतः उदा चमार को अलोट हुई भूमि अपनी स्वअर्जित भूमि मानी जाती है जिसको अपने जीवनकाल में वसीयत/दान करने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा/ दस्तावेज/साक्ष्य में यह कहीं नहीं बताया कि उदा चमार द्वारा वादी भैरूलाल के पक्ष में वसीयत की गई भूमि को उदा चमार ने अन्य किसी को वसीयत/दान की है। अतः उदा पिता दोला चमार द्वारा की वह वसीयत जो उदा जी अलोट हुई वादी के नाम की गई वह प्रथम एवं अंतिम वसीयत मानी जाती है। भारतीय पंजीयन अधिनियम–1908 के प्रावधानों के अनुसार वसीयत संबंधी दस्तावेज का पंजीयन किया जाना आवश्यक नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 18 (ई) में वसीयत के पंजीयन को वैकल्पिक बताया गया है। अतः वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो अथवा नहीं दोनों को ही साक्ष्य में ग्रहण करने हेतु वैध माना गया है। अतः यह वसीयत विधिमान्य है। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा/दस्तावेजों में यह भी नहीं बताया कि इस वसीयत को किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया है। अतः वादी के पक्ष में उदा पिता दोला चमार द्वारा की गई वसीयत कानून वैध है। वसीयतनामा पर कनीराम पिता गुलाबजी सा. ढोरिया, नन्दलाल पिता चोका रावत मीणा निवासी मकनपुरा, अम्बालाल पिता नन्दाजी गुजर सा0 मकनपुरा के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी है। वादी ने वसीयतनामा के तीनों गवाहो के शपथ पेश किये एवं बयान भी लेख बद्ध कराये। वसीयतनामा के तीनों स्वतंत्र गवाहों ने अपने शपथ पत्र एवं बयानों में उदा के समक्ष वसीयतनामें पर किये अपने द्वारा हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी करना स्वीकार किया है तथा वसीयातनामा को सही होना स्वीकार है। अतः वसीयतनामा के आधार पर वादी भैरूलाल उदा पिता दोला चमार की उक्त एलोट शुदा भूमि को अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। वादी उक्त तनकी को साबित करने में सफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी नम्बर–4 :–</u>इस तनकी का साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित करने के लिए ऐसे कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि उदा द्वारा उनके जीते जी जीवनकाल में कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया है वादी ने झूठा व फर्जी

वसीयतनामा बनाकर विवादग्रस्त आराजी को हड़पना चाहा है। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा/दस्तावेजों में यह भी नहीं बताया कि इस वसीयत को किसी सिविल न्यायालय में निरस्त कराने की कार्यवाही चल रही है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

11. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं उपर्युक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–2 व 6 ग्राम मकनपुरा की नामान्तरकरण संख्या 111 अनुसार जरिये मि0नं0 510/77 दिनांक 29.12.77 को उदा पिता दोला चमार निवासी मकनपुरा को आराजी नम्बर 525/27 रकबा 5 बीघा भूमि अलोट हुई। थी। श्री उदा पिता दोला चमार ने उक्त अलोट भूमि को वादी भैरूलाल पिता मांगीलाल के पक्ष मे दिनांक 31.03.1995 को वसीयत निष्पादित की जो पांच रूपये के स्टाम्प होकर अनरजिस्टर्ड है। वसीयतनामा पर गवाह के रूप में कनीराम पिता गुलाबजी सा. ढोरिया, नन्दलाल पिता चोका रावत मीणा निवासी मकनपुरा, अम्बालाल पिता नन्दाजी गुजर सा0 मकनपुरा के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी है। प्रथम दृष्टया न्यायालय को यहाँ इस महत्वपूर्ण बिन्दु का विश्लेषण करना है जिसमें वादी को की गई वसीयत कानूनन दृष्टिकोण से सही है या नहीं अर्थात वसीयत कर्ता वसीयत करने का अधिकारी है या नहीं। हमने उदा चमार द्वारा वादी के पक्ष में की गई वसीयत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उदा पिता दोला चमार ने अपने जीवन काल में अपने नाम अभिलिखित भूमि का वादी भैरूलाल के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत की है। अनरजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में भारतीय पंजीयन अधिनियम –1908 के प्रावधानों के अनुसार वसीयत संबंधी दस्तावेज का पंजीयन किया जाना आवश्यक नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 18 (ई) में वसीयत के पंजीयन को वैकल्पिक बताया गया है। अतः वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो अथवा नहीं दोनों को ही साक्ष्य में ग्रहण करने हेतु वैध माना गया है। अतः वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है, कि नामान्तरकरण की कार्यवाही गैर पंजीकृत वसीयत के आधार पर भी जांच उपरान्त सक्षम अधिकारी/पंचायत द्वारा की जा सकती है। उदा पिता दोला चमार निवासी मकनपुरा को जरिये मि0नं0 510/77 दिनांक 29.12.77 को ग्राम मकनपुरा की आराजी नम्बर 525/27 रकबा 5 बीघा भूमि अलोट हुई जिसके नवीन आराजी नम्बर 117 रकबा 1.27 हैक्टंयर है। अतः उदा चमार को उक्त अलोट हुई भूमि अपनी स्वअर्जित भूमि है जिसको अपने जीवनकाल में किसी के भी पक्ष में वसीयत/दान करने पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा/दस्तावेज में यह कहीं नहीं बताया कि उदा चमार द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत की गई भूमि को उदा चमार ने अन्य किसी को वसीयत/दान की है। अतः उदा चमार की वह वसीयत जो वादी के नाम की गई वह प्रथम एवं अंतिम वसीयत मानी जाती है। यह वसीयत विधिमान्य है। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा/दस्तावेजों में यह भी नहीं बताया कि इस वसीयत को किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया है। अतः वादी के पक्ष में उदा चमार द्वारा की गई वसीयत कानूनन वैध है। वादी भैरूलाल को वसीयत की गई भूमि उदा चमार की अलोट हुई भूमि थी जो अपनी स्वअर्जित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

मानी जाती है जिसे अपने जीवनकाल में वसीयत/दान करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। वादी ने वसीयतनामा के स्वतन्त्र गवाह कनीराम पिता गुलाबजी सा. ढोरिया, नन्दलाल पिता चोका रावत मीणा निवासी मकनपुरा, अम्बालाल पिता नन्दाजी गुजर सा0 मकनपुरा के मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किये एवं बयान लेखबद्ध किये गये। वसीयतनामा के गवाहों ने वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए वसीयतनामा को सही बताया जिस पर उन्होनें गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये है। वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करने से भी वादी के कथनों को बल मिलता है। अतः वादी भैरूलाल के पक्ष में उदा पिता दोला चमार द्वारा की गई वसीयत कानून वैध है। अतः वसीयतनामा के आधार पर वादी उदा चमार की उक्त अलोट हुई भूमि को अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजियात वसीयतनामा के आधार पर वादी के नाम घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः वादिया का वाद डिक्री योग्य है

12. अतः वादी का वाद पर्याप्त सबूतों एवं दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में कतई डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा मकनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 की खाता संख्या 25 की आराजी नम्बर 117 रकबा 1.2700 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण रूप से वादी श्री भैरूलाल पिता मांगू उर्फ मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा के नाम खातेदारी की घोषित की जाती है तथा वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगणों को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की उक्त कब्जे काश्त की भूमि में दखलांदाजी नहीं करें न किसी से करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (**R.A.S.**)

प्रकरण संख्या –69/2014 वाद
GCMS No.–2016/00498

श्री भैरूलाल पिता मांगू उर्फ मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र 50 वर्ष निवासी मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।

–वादी

//बनाम//

2. शांताबाई के बजायः–
   1/1 निर्मला पुत्री कनीराम जाति मेघवाल आयु 40 वर्ष निवासी ढोरिया हा0मु0 भट्टकोटड़ी तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
   1/2 सुरेश पिता कनीराम मेघवाल आयु 25 वर्ष निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा।
   1/3 प्रेम पुत्री कनीराम जाति मेघवाल आयु 20 वर्ष निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा राज0
2. कमला बाई पुत्री उदा जी पत्नी बगदीराम जाति मेघवाल निवासी मकनपुरा हाल आजाद चौक मेघवालों के मंदिर के सामने निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा
3. पृथ्वीराज पिता उदा जाति मेघवाल आयु 48 साल निवासी मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
4. तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा राज0

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री राधेश्याम धाकड़ एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम निपटारा हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद पर्याप्त सबूतों एवं दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में कतई डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा मकनपुरा पटवार हल्का गुढाखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 की खाता संख्या 25 की आराजी नम्बर 117 [illegible] 1.2700 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण रूप से वादी श्री भैरूलाल पिता मांगू [illegible] निवासी मकनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा के नाम खातेदारी [illegible] वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का नाम राजस्व [illegible] से विलोपित किये जाने का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

दिया जाता हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगणों को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की उक्त कब्जे काश्त की भूमि में दखलांदाजी नहीं करें न किसी से करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested